न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1508–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.1.13 पारित द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर प्रकरण कमांक 203/स्वमेव निगरानी/2006–07.

हल्कू पुत्र स्व0 सुकुआ जाति ढीमर (मृतक) वारिसान –

1– करैया बाई वेवा हल्कू
2– रामचरण पुत्र हल्कू
3– शांतिबाई
4– गुलाबा बाई
5– कमर बाई

पुत्रियां हल्कू समस्त जाति टीमर
निवासी ग्राम ईदौंर तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म.प्र. ----- आवेदकगण

विरूद्ध

म. प्र. शासन ----- अनावेदक

श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 203/स्व. निग. /06–07 में पारित आदेश दिनांक 30–1–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में मात्र उद्घोषणा को त्रुटिपूर्ण बताया गया है तथा संवत 2040 लगायत 2043 तक का अतिकमण आवेदक का कब्जा दर्ज होना बताया है ।

जबकि नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत उद्घोषण जारी की है आवेदक का आधिपत्य सन् 1975 के पूर्व का है । यदि ग्राम पटवारी ने कागजों में अंकित नहीं किया तो इसके लिए आवेदक जिम्मेदार नहीं है । आवेदक भूमिहीन है । कलेक्टर ने अपने नोटिस में आवेदक व उसके परिवार के पास 0.869 हैक्टर भूमि होना बताया है । आवेदक को किए गए व्यवस्थापन का रकबा 0.209 कुल मिलाकर 1.078 होता जो शासन के नियमानुसार 2.000 हैक्टर से कम है ।

यह तं दिया गया कि कलेक्टर द्वारा 24 वर्ष उपरांत प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है जबकि 1997 आर.एन. 219 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 7 वर्ष पश्चात स्वमेव पुनरीक्षण की अधिकारिता को अमान्य किया गया है । उ

यह तर्क दिया गया है कि शासकीय पट्टेदार को संहिता की धारा 182/2 में वर्णित आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव पुनरीक्षण का प्रयोग कर पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता इस संबंध म0प्र0 राज्य बनामा शोभाराम 1982 आर.एन. 163 उच्च न्यायालय का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध है प्रकरण में जो उद्घोषणा संलग्न है उस पर ना तो प्र0क0 अंकित है और ना ही वह किस दिनांक को जारी की गई इसका उल्लेख इसके अतिरिक्त किस दिनांक तक आपत्तियां प्रस्तुत की जाना इसका उल्लेख है । प्रकरण में आवेदक और उसके साक्षियों के कथन किस दिनांक को लिए गए इसका भी कथनों में उल्लेख नहीं है । आवेदक ने अपने आवेदन में 30–40 वर्षों से फसल काटकर लाभ लेने का उल्लेख किया है किंतु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं जो खसरा पांच साला पेश किया है वह संवत 2040 से 2043 का है । यह भी कहा गया कि यदि आदेश एवं अवैध एवं क्षेत्राधिकार रहित हो तो प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिए जाने में कोई बाधा नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृश्टांत 1990 आर0एन0 77 के पैरा 13 एवं 14 एवं न्यायदृष्टांत 2007 आर0एन0 399 का हवाला दिया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

भू–राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा 50 –– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां – भूमि का अवैध आवंटन – 10–15 वर्ष पश्चात भी अपास्त किया जा सकता है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के आवंटन के संबंध में है । अभिलेख के देखने से स्पष्ट हाता है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किया गया है । उन्होंने यह पाया है कि प्रकरण में जारी विज्ञप्ति पर आदेशिका पंजी का कमांक व दिनांक अंकित नहीं है । विज्ञप्ति किस दिनांक को जारी की गई, यह संदेहास्पद है । तामील कुनिंदा द्वारा भी यह लेख नहीं किया गया कि विज्ञप्ति कब उसे प्राप्त हुई । विज्ञप्ति विधिवत जारी नहीं की गई, इस कारण प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । उन्होंने यह भी पाया है कि प्रकरण में जो खसरा नकल उपलब्ध है उसमें संवत 2040 लगायत 2043 तक आवेदक का अवैध रूप से अतिक्रमण दर्ज है किंतु आवेदक की ओर से तथाकथित अतिक्रमण के संबंध में संहिता की धारा 248 के अधीन उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही के अनुकम में अर्थदण्ड पावती रसीद अथवा कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति पेश नहीं की गई कलेक्टर ने और अन्य अनेक अनियमितताओं के आधार यह पाया है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25–8–1979 के अनुसार दिनांक 31–12–76 के पूर्व के बेजा कब्जे को ही व्यवस्थापित किया जा सकता है, जबकि विशेष उपबंध अधिनियम के तहत कब्जे की अवधि 2–10–84 अथवा पूर्व की होना आवश्यक है । उक्त अनियमिताओं के आधार पर उन्होंने यह पाया है कि पटवारी द्वारा आवेदक को अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उसका अतिक्रमण दर्ज किया गया है और उन्होंने तहसील न्यायालय के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर के आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर